राजस्थान सरकार

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ1(552)स्था/निकाशि/96/1951 दिनांकः–11.09.12

परिपत्र

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय महा0/कन्या महा0, राजस्थान।
2. प्राचार्य राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर।
3. प्राचार्य राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर।

प्रायः यह देखा गया है कि व्याख्याताओं/उपाचार्यो/कर्मचारियों द्वारा अन्य विभाग/संस्थान/उपक्रम/विश्वविद्यालय आदि में किसी पद हेतु आवेदन किये जाने पर आवेदन पत्र प्राचार्य के माध्यम से इस विभाग को अग्रेषित करने हेतु भिजवाये जाते हैं जिन्हें इस विभाग द्वारा संबंधित को अग्रेषित किया जाता रहा है।

निदेशालय स्तर पर भविष्य में अधिकारियों के आवेदन–पत्र संबंधित विभाग/संस्थान/उपक्रम/विश्वविद्यायल आदि को अग्रेषित करने के स्थान पर **"अनापत्ति प्रमाण–पत्र"** जारी किये जायेंगे। अधिकारी एवं कर्मचारी **"अनापत्ति प्रमाण–पत्र"** के साथ अपने आवेदन–पत्र संबंधित को स्वयं भिजवायें। भविष्य में आवेदन पत्र इस विभाग को अग्रेषित नहीं करें। निदेशालय में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा।

निदेशक, कॉलेज शिक्षा एवं
पदेन विशिष्ठ शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान ।